कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

//संशोधित—आदेश//

क्रमांक/ 09 /एक/11/03/सां./2010 अशोकनगर, दिनांक 24.4.23

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रं0 279/गोपनीय/2023/दो—3—1/2023 जबलपुर दिनांक 31.03.2023 के द्वारा इस जिला न्यायपालिका अशोकनगर के मुख्यालय अशोकनगर पर न्यायिक अधिकारी श्री प्रकाश केरकेट्टा, की पदस्थापना प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश के रूप में किये जाने तथा रजिस्ट्री जबलपुर अधिसूचना क्रं0 क्रं0 ए/2085 जबलपुर दिनांक 22.04.2023 के अनुसार पॉक्सो अधिनियम, 2012 अंतर्गत जिला मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उद्भूत लंबित प्रकरणों के विचारण हेतु एक्सक्लूजिव विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी/न्यायाधीश निर्दिष्ट किये जाने एवं श्री उपदेश राठौर की पदस्थापना प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश के पद पर किये जाने के फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश क्रं0 01 दिनांक 02.01.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा परन्तु इस संशोधन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण उक्त न्यायालयों के न्यायाधीश के पास लंबित हैं या प्रस्तुत हुये हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। :—

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	<u>कार्य विभाजन आदेश क्रं0 01 दिनांक 02.01.2023 के पृष्ठ क्रमांक 05 के सरल क्रं0 04 के पश्चात् सरल क्र0 04ए एवं 04बी तथा 04 सी निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :—</u>		
4	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश**	—	रिक्त न्यायालय।
4बी	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश (श्री प्रकाश केरकेट्टा)**	—	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें। 02. मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण। 03. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर ज्ञापन क्रं0 डी/1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 5189/2020 प्रमोद यादव वि0 म0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 के अनुपालन में संपूर्ण जिला अषोकनगर से उत्पन्न होने वाले **<u>एस0एसी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय के</u>**

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			वे मामले जिनमें दोनो अधिनियमों अर्थात पॉक्सो एक्ट एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 04. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले समस्त विविध प्रकरण।
4 सी	**प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश (श्री उपदेश राठौर)**	—	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें। 2. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी क्लेम प्रकरण। 04. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।

sd/-
(पी0के0 शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 कमांक 698 **/एक–11–03/सां0/2010** **अशोकनगर दिनांक** 24-4-23

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय/अति0 जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
5. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
6. कलेक्टर, अशोकनगर।
7. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी
10. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)